न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:–893 / 2020 (जीसीएमएस नं. 2020 / 00776)

1. मालीराम पुत्र मुरली, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोविन्दराम,
2. प्रमिला देवी पत्नी जगदीश नारायण,
3. सुरेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
4. रमेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
5. महेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण,
6. सुशीला देवी पुत्री जगदीश नारायण, समस्त जाति परवाल निवासी किशनगढ़ रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री अशोक अपाध्याय एडवोकेट
2. रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 6 की ओर से श्री गिरधारी लाल शर्मा,
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 02.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के आदेश दिनांक 11.09.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट खसरा नम्बर 1677 / 1270 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, उक्त खसरा नम्बर रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर व अपीलान्ट के खसरा नम्बर की सीमा से मिलता हुआ है इस कारण से रेस्पोंडेन्ट के खसरा नम्बर में नक्शा दुरूस्ती से पूर्व अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया एवं अपने विवेक का प्रयोग किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो कि निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है क्योंकि उक्त विधि विरूद्ध नक्शा दुरूस्ती के कारण अपीलान्ट की खातेदारी भूमि प्रभावित होती है इस कारण अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है, इस कारण अपीलान्ट को उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार

योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कतई नही थी, उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 12.10.2020 को हुई जब तहसील कार्यालय से उक्त आदेश की पालना की कार्यवाही के तहत नोटिस प्राप्त हुआ जिस पर अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल निकलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हुई तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अपने सम्पूर्ण खसरा नम्बर के नक्शें की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 02.11.2020 को प्राप्त हुई और अपीलान्ट अपने सम्पूर्ण दस्तावेज लेकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर व जानकारी प्राप्त कर उक्त अपीलाधीन आदेश की अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की है तथा जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में रेस्पोडेन्टस को नाजायज लाभ पहूँचाने की गरज से कानून के विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर मनमाना निर्णय पारित किया है, जो गलत है एवं काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2020 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर वर्तमान 1450/1270 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है जो रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमें 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का व 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे है, रेस्पोडेन्ट उक्त आराजीयात का पुराना खसरा नम्बर 1270/2/15 था जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता जगदीशनारायण द्वारा पूर्व खतेदार सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह द्वारा दिनांक 26.04.1966 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था तथा उक्त विक्रय पत्र में रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजीयात की सीमा हददू भी अंकित की थी जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा आराजीयात के पूरब में सड़क पश्चिम में बंशी की जमीन, उत्तर में नाथू की जमीन, दक्षिण में मुरलीनारायण की जमीन दर्शातें हुये विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया था तथा विक्रय पत्र दिनांक 26.04.1966 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता जगदीशनारायण के पक्ष में राजस्व कर्मचारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 251 भरा जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या

1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता के द्वारा खरीदशुदा भूमि 12 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 1270/2/15 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा अंकित करते हुये तथा नामान्तरकरण संख्या 251 की पुश्त पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि का नजरी नक्शा बनाते हुये नामान्तरकण तस्दीक किया गया था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजीयात की नक्शा लट्ठा ट्रेस में नामान्तरकरण संख्या 251 के आधार पर ही तरमीम की जा चुकी थी तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में उक्त नक्शे अनुसार ही तरमीम चली आ रही थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा राजस्व रिकार्ड के ऑनलाईन एवं मार्डलाइजेशन हेतु (डीआईएलआनएमपी) के तहत प्रत्येक गांव का नक्शा व जमाबन्दी का मिलान करने हेतु कार्य किया जा रहा था जिसके तहत रेस्पोडेन्ट की आराजीयात के नक्शा लट्ठा ट्रेस में बिना रेस्पोडेन्ट को सूचना दिये तथा बिना रेस्पोडेन्ट की जानकारी के पटवार हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से रेस्पोडेन्ट की कब्जे–काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात को कम करते हुये रेस्पोडेन्ट की आराजी के पूरब से जो रोड़ निकला हुआ था उसे रेस्पोडेन्ट की आराजीयात में सम्मलित करते हुये पूर्व के राजस्व नक्शे को अपनी मनमर्जी से बिना सक्षम अधिकारी व न्यायालय के आदेश के परिवर्तित करते हुये रेस्पोडेन्ट की आराजीयात कम कर दी गई तथा पूर्व के नक्शे के अनुसर तरमीम न कर नये सिरे से गलत रूप से तरमीम कर दी गई जिसकी दुरूस्ती हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2020 पारित किया गया है, फिर भी यदि न्यायालय श्रीमान् उभयपक्ष को सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है तो इसमें रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 द्वारा भी प्रकरण रिमाण्ड किये जाने हेतु कोई आपत्ति नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट पडौसी खातेदार है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे पक्षकार नही बनाया गया था ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेको ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि

आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने बाबत रेस्पोडेन्ट ने अपनी सहमति दी है। ऐसी स्थिति प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2020 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का दो माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।